झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1203 वर्ष 2017

1. मोती लाल महतो उर्फ मोती महतो, पे0 स्वर्गीय राखाल महतो

2. ओखू महतो, पे0 स्वर्गीय राखाल महतो .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची

3. अपर परियोजना निदेशक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, स्वर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावां

4. पुनर्वास अधिकारी–2, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल, जिला–सरायकेला–खरसावां

5. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, स्वर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जिला–सरायकेला–खरसावां

.....उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री राजीव आनंद, जी0ए0–IV

श्री श्याम नरसरिया, जी0ए0–IV के जे0सी0

आदेश सं0 06 दिनांकः 19.02.2018

वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ताओं को 'विकास पुस्तिका' जारी करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है क्योंकि वे स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना के विस्थापित व्यक्ति हैं और अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने की तारीख के समय वयस्क थे, जिससे उन्हें अपने नाम पर 'विकास पुस्तिका' प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार मिल गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने की तारीख के समय प्रत्येक वयस्क, झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति के संदर्भ में एक अलग इकाई का गठन करता है।

2. याचियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचियों के पिता एक दर्ज किरायेदारों में से एक थे, जिनके पास प्लॉट सं0 1609 में 23 डिसमिल, प्लॉट सं0 1608 में 12 डिसमिल, प्लॉट सं0 1610 में 41 डिसमिल, प्लॉट सं0 1611 में 55 डिसमिल, प्लॉट सं0 1606 में 6 डिसमिल और प्लॉट सं0 1612 में 58 डिसमिल, सभी खाता संख्या–93, ग्राम–कल्याणपुर, थाना सं0 224, निमदीह अंचल, जिला–सिंहभूम अब सरायकेला–खरसावां में स्थित भूमि पर कब्जा था। याचिकाकर्ताओं को उनके पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुआ। विद्वान वकील आगे निवदेन करते हैं कि पूर्वोक्त भूमि के साथ–साथ यह आवासीय घर स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा अधिग्रहित किया गया था, क्योंकि यह जलमग्न क्षेत्र में आता था। झारखंड सरकार ने उक्त सिंचाई परियोजना में भूमि गंवाने वालों के संबंध में 30.09.2003 को एक पुनर्वास नीति तैयार की। चूंकि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में अलग विकास पुस्तिका पाने के हकदार हैं, इसलिए उन्होनें प्रत्यर्थी सं0 4–पुनर्वास अधिकारी–2, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, जिसे प्रत्यर्थी सं0 3–अपन परियोजना निदेशक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, स्वर्णरेखा

परियोजना, आदित्यपुर को अग्रेषित किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों की सलाह पर कई अभ्यावेदन दायर किए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3. राज्य के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि वर्तमान मामले में स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता है। यदि याचिकाकर्तागण अपने दावे के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए न अभ्यावेदन दायर करते हैं, तो उन पर विचार किया जाएगा और तथ्यात्मक सत्यापन के बाद उचित आदेश पारित किया जाएगा।

4. प्रतिवादी झारखंड राज्य की ओर से उपरोक्त निवेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी संख्या–3–अपर परियोजना निदेशक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, स्वर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर के समक्ष अपने संबंधित दावों के संबंध में समर्थन विवरण/दस्तावेजों के साथ नए अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता है। प्रत्यर्थी सं0 3, याचियों द्वारा दिए गए ऐसे अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर, तथ्यात्मक निर्धारण करने के बाद, अभ्यावेदनों को दाखिल करने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

5. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त छूट और निर्देश के साथ किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)